



Neutral Citation No. - 2026:AHC:15886

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 1723/2026

चंद्र केश पाल और अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उप जिलाधिकारी / एस.डी.एम. और 14 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता: पूनम यादव, राज करन यादव, यादवेन्द्र कुमार यादव

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता: आजाद राय, सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 2

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया,

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, प्रतिवादी-गण के विद्वान स्थायी अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 14 के विद्वान अधिवक्ता श्री आजाद राय को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. वर्तमान याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई एकमात्र राहत प्रतिवादी संख्या 1- उप जिलाधिकारी, तहसील-फूलपुर, जिला प्रयागराज को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 30(2) और 144 के तहत विभाजन वाद संख्या 56/2026 को शीघ्रता से तय करने का निर्देश देना है।
3. यहाँ पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित आदेश के आलोक में, प्रतिवादी/प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। हालाँकि, यदि प्रतिवादी/प्रतिवादी इस आदेश से व्यथित महसूस करते हैं, तो आदेश में संशोधन/परिवर्तन चाहने का उनका अधिकार सुरक्षित रखा जा रहा है।
4. अभिलेख के अवलोकन से यह पता चलता है कि पूरी याचिका में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है कि कोई असाधारण स्थिति है और न ही याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस संबंध में कोई तर्क दिया गया है कि अवर न्यायालय को उपरोक्त मामले को समयबद्ध तरीके से तय करने का निर्देश दिया जाए, सिवाय इस तथ्य के कि वाद वर्ष 2025 में दायर किया गया है।
5. उपरोक्त को देखते हुए, याचिकाकर्ता को कोई राहत प्रदान नहीं की जा सकती। हालाँकि, अवर न्यायालय से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उपरोक्त मामले का निर्णय कानून के अनुसार सख्ती से करे और किसी भी पक्ष को कोई अनावश्यक स्थगन प्रदान न करे, जब तक कि कोई कानूनी बाधा न हो।
6. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, याचिका निस्तारित की जाती है।

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



21 जनवरी, 2026

प्रमोद त्रिपाठी

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"